न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/45

1. सत्यनारायण आयु 42 वर्ष आत्मज स्व0 श्री खाना जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. हरनाथ आयु 65 वर्ष आत्मज श्री लखमा जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीलाल आत्मज श्री दल्ला जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. भैरू प्रकाश आत्मज श्री शंकर जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. कन्हैया लाल आत्मज श्री नाथूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सत्यनारायण नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र मालवीय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 04 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 26.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 26.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 03 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डोकून में खसरा नम्बर 497 रकबा 03 बिस्वा गै0मु0 खलियान, खसरा नम्बर 501 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 494 रकबा 05 बिस्वा गै0मु0 खलियान स्थित है । उक्त भूमियॉ प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमियॉ है व खसरा नम्बर 494 सिवायचक कब्जे की है जिनमें प्रार्थीगण के खलियान, मकान बने हुए हैं जिनको प्रार्थीगण रहने, उठने, बैठने मवेशी बांधने चारा रखने के काम में लेते आ रहे हैं । उक्त भूमि में जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम डोकून से जीवनपुरा जाने वाले रास्ते से भूमि खसरा नम्बर 513 सिवायचक भूमि में होकर खसरा नम्बर 495 की मेड से होकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 497, खसरा नम्बर 501, खसरा नम्बर 494 पर पहुंचता है । इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट "अ" में लाल स्यायी से बताया गया है । इस रास्ते से प्रार्थीगण सैकडों वर्षो से आवागमन कर रहे हैं एवं कृषि सामान ले जाने के काम लेते आ रहे हैं । इस भूमि पर प्रार्थीगण को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है । इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई अन्य रास्ता नहीं है । उक्त रास्ता 10 फिट चौडा है जिससे आवागमन में परेशानी होती है जिसे करीब 25 फुट चौडा किये जाने की आवश्यकता है । विवादित रास्ता वर्तमान में नक्शा ट्रेस में दर्ज नहीं कर रखा है इस कारण अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने लगे हैं । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे उक्त रास्ते को 25 फिट चौडा करवा कर रास्ते का नक्शा ट्रेस व अन्य राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावें ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 05 में वर्णित परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से प्रदर्शित विवादित रास्ते को प्रार्थीगण के खेतों में पहुंचने का रास्ता घोषित किया जाकर 25 फुट चौडा किया जावे नक्शा ट्रेस में रास्ते को दर्ज किया जावे जितनी भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी की आती है उसका युक्तियुक्त प्रतिकर प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार हैं ।

4. अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 6 ने परीक्षण न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट डोकून में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 26.10.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 494, 495 व 496, 497, 498 व 500 के बीच की मेर पर खसरा नम्बर 513 में से होते हुए रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय

से पूर्व जिन खसरा नम्बर में से रास्ते हेतु भूम ली गई है उन सभी भूमि के खातेदारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम डोकून तहसील नैनवा की खसरा नम्बर 497 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 501 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 494 रकबा 05 बिस्वा गै0मु0 खलियान स्थित है । उक्त भूमियॉ प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है व खसरा नम्बर 494 सिवायचक कब्जे की है जिनमें प्रार्थीगण के खलियान मकान बने हुए हैं । प्रार्थीगण की कृषि भूमि में काश्त करने के लिए एकमात्र रास्ता ग्राम डोकून से जीवनपुरा जाने वाले रास्ते से भूमि खसरा नम्बर 513 सिवायचक भूमि में होकर खसरा नम्बर 495 की मेड से होकर पहुंचता है । प्रार्थीगण इसी रास्ते से होकर अपनी भूमि आते–जाते हैं । दौराने प्रार्थना पत्र विचारण परीक्षण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 07 भूमिधारी तहसीलदार नैनवा से रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की और उसी रिपोर्ट को आधार मानकर रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय से पूर्व जिन–जिन खसरा नम्बर में से रास्ते हेतु भूमि ली गई है उन सभी भूमि के खातेदार व मालिकों को निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 496 रकबा 0.0300 हैक्टर में से 20 गुणा 09 बराबर 180 वर्गफीट भूमि को लेकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आने–जाने हेतु नया रास्ता कायम कर दिया तो अपीलान्ट की भूमि की उपयोगिता ही समाप्त हो जावेगी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 26.10.2021 निरस्त फरमाया जावे।

9. हमने पत्रावली पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 03 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डोकून में खसरा नम्बर 497 रकबा 03 बिस्वा गै0मु0 खलियान, खसरा नम्बर 501 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 494 रकबा 05 बिस्वा गै0मु0 खलियान स्थित है । उक्त भूमियॉ प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमियॉ है व खसरा नम्बर 494 सिवायचक कब्जे की है जिनमें प्रार्थीगण के खलियान, मकान बने हुए हैं जिनको प्रार्थीगण रहने, उठने, बैठने मवेशी बांधने चारा रखने के काम में लेते आ रहे हैं । उक्त भूमि में जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम डोकून से जीवनपुरा जाने वाले रास्ते से भूमि खसरा नम्बर 513 सिवायचक भूमि में होकर खसरा नम्बर 495 की मेड से होकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 497, खसरा नम्बर 501, खसरा नम्बर 494 पर पहुंचता है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के खाते की भूमि खसरा नम्बर 496

रकबा 0.0300 किस्म गै0मु0 खलान में से 20 गुणा 09 बराबर 180 वर्गफीट भूमि रास्ते हेतु अवाप्त करना बताया गया है जबकि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया है । परीक्षण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के खातेदार को पक्षकार बनाये उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है ।

10. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट कम 01 के पिता खाना एवं अपीलान्ट कम 02 हरनाथ के खातेदारी में खसरा नम्बरा 496 रकबा 0.0300 हैक्टर गै0मु0 खलियान भूमि दर्ज है, जबकि अपीलान्टगण (मृतक) खाना के वारिस सत्यनारायण एवं हरनाथ को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । मौका पर्चा में अंकित है कि, "मौके पर वर्तमान में जिस जगह रास्ता (विवादित) निकला हुआ है उसके आस–पास आबदी मकान बाडे होने से स्पष्टतया यह पुष्टि नहीं होती है कि रास्ता किन–किन खसरा नम्बर में से होकर निकल रहा है ।" अतः मौका पर्चा से प्रतीत होता है कि राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय में अपने निर्णय में आदेश पारित किये कि "रास्ते के उपयोग में आने वाली खसरा नम्बर 513 सिवायचक गै0मु0 बर्डा, खसरा नम्बर 494 सिवायचक गै0मु0 खलिहान, खसरा नम्बर 498 सिवायचक गै0मु0 खलिहान, खसरा नम्बर 499 सिवायचक गै0मु0 खलिहान, खसरा नम्बर 495 खातेदारी गै0मु0 खलिहान, खसरा नम्बर 496 खातेदारी गै0मु0 खलिहान, खसरा नम्बर 497 खातेदारी गै0मु0 खलिहान, खसरा नम्बर 500 खातेदारी गै0मु0 खलिहान के रास्ते के उपयोग वाले हिस्से को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव वाले अनुमोदन श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बून्दी को प्रेषित किया जावे । परिशिष्ट "क" में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शाया गया है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकल राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे । नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा । तहसीलदार नैनवा की रिपोर्ट में मौके पर आस–पास अबादी मकान बाडे होने से खसरा नम्बर की स्पष्टतया पुष्टि नहीं होने का अंकन किया गया है । अतः तहसीलदार नैनवा को आदेशित किया जाता है कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बून्दी के अनुमोदन के बाद जीपीएस टीम से समन्वय स्थापित कर मौके पर सही स्थिति का आंकलन कर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जाकर मौके पर रास्ता बहाल किया जावे ।" उक्त आदेश भी विरोधाभासी है । एक तरफ रास्ता दिये जाने के आदेश हैं दूसरी ओर जीपीएस टीम द्वारा मौक का सही अकलन कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश हैं । यदि आदेश अनुसार बाद में जीपीएस टीम के साथ स्थिति आकलन में कोई परिवर्तन हुआ तो इस आदेश का क्या होगा ? उक्त आदेश में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 68 से 70 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा